नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
(वाणिज्य विभाग)

पत्रांक – Com./New Connection-224/13/**2473**
दिनांक .**15.10.2013**

फोन नं0 0612–2505750
फैक्स नं0 0612–2505750
ईमेल bseb.ce.commercial@gmail.com

प्रेषक,

मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

सेवा में,

सभी विद्युत अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत आपूर्ति अंचल, एनबीपीडीसीएल
सभी कार्यपालक विद्युत अभियन्ता,
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, एनबीपीडीसीएल
सभी सहायक विद्युत अभियन्ता,
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, एनबीपीडीसीएल
सभी कनीय विद्युत अभियन्ता,
विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, एनबीपीडीसीएल

विषय :– निम्न विभव विद्युत भार के लिए नए विद्युत सम्बद्ध का संशोधित आवेदन प्रपत्र।

महाशय,

निम्न विभव विद्युत भार के लिए आवेदको को नये विद्युत सम्बन्ध प्राप्त करने में कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 की कंडिका 4.11 में निहित प्रावधानों के तहत नये आवेदको को सुविधा प्रदान करने हेतु वर्त्तमान के आवेदन प्रपत्र में कतिपय संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

निम्न विभव विद्युत भार के लिए नए विद्युत सम्बन्ध का संशोधित आवेदन प्रपत्र संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रपत्र में दिए गए अनुदशों के अनुरूप उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त किए जाए, उन्हें कंपनी के राजस्व काउन्टर से विधिवत् आवेदन की पावती रसीद दी जाय तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 एवं स्टैण्डर्ड ऑफ परफोमेन्स के प्रावधानो के अधीन नए विद्युत सम्बद्ध तत्परता पूर्वक दिए जाए।

इस क्रम में यह भी कहना है कि –

1. सिंगल फेज कनेक्शन के लिए सम्बन्धित कनीय विद्युत अभियन्ता या संबंधित सहायक विद्युत अभियन्ता तथा थ्री फेज के लिए संबंधित सहायक विद्युत अभियन्ता कार्यालय में आवेदन दिए जायेंगे।

2. आवेदन संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रशाखा अथवा विद्युत अवर प्रमण्डल के किसी भी राजस्व भुगतान काउन्टर पर आवेदको द्वारा जमा किए जा सकते हैं।

3. **आवेदन जमा करने के लिए आवेदक को कनीय विद्युत अभियन्ता अथवा सहायक विद्युत अभियन्ता की अनुमति/ हस्ताक्षर /आवेदन पर पृष्टांकन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।** आवेदक से इस आधार पर कि आवेदन पर कनीय विद्युत अभियन्ता एवं सहायक विद्युत अभियन्ता का हस्ताक्षर/अनुमति/पृष्टांकन नहीं है, आवेदन प्राप्त नहीं किए जाने की स्थिति को गंभीर कदाचार माना जाएगा तथा इस आधार पर दोषी कर्मचारी एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

4. बकाए की विवरणी की संपुष्टि संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता अथवा सहायक विद्युत अभियन्ता, उपभोक्ता के राजस्व पंजी तथा परिसर के स्थल निरीक्षण के उपरान्त करेंगे।

5. ऐसे परिसर में जहाँ कंपनी का निम्न विभव वितरण प्रणाली परिसर के निकट ही अवस्थित हो तथा नए विद्युत सम्बन्ध देने के लिए वितरण प्रणाली में विस्तार की आवश्यकता नहीं हो, नया विद्युत संबंध देने के लिए प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. उन मामले में जहाँ आवेदक को नए विद्युत सम्बन्ध देने के लिए कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के विस्तार करने की आवश्यकता है, विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 की कंडिका 4.21 तथा 4.22 के अधीन आवेदक को अतिरिक्त कार्य का प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा। ऐसे अतिरिक्त प्राक्कलन राशि का भुगतान आवेदक द्वारा नियत अवधि के अन्दर किया जायेगा तब कनेक्शन दिया जायेगा।

7. उपभोक्ता को नया विद्युत सम्बन्ध दिए जाने की प्रक्रिया बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के सामान्य प्रावधानों एवं समय–समय पर किए गए संशोधनों के अधीन होगी। आवेदक द्वारा आवेदन के समय जमा की जाने वाली राशि बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर पारित टैरिफ आदेश में वर्णित दरों के अनुरूप संशोधित होगी।

8. यह प्रपत्र सिर्फ नये विद्युत सम्बन्ध देने हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

9. **पूर्व की भाँति नये विद्युत सम्बन्ध हेतु नया आवेदन पंजी तथा सर्विस कनेक्शन रजिस्टर को पूर्णतः अपडेट रखा जाना है। स्टैण्डर्ड ऑफ परफोरमेन्स रेगुलेशन, 2007 के कंडिका – 8 (3)(a) तथा (3)(b) के तहत क्रमशः नया आवेदन पंजी तथा सर्विस कनेक्शन रजिस्टर में नये विद्युत संबद्ध देने हेतु जानकारी अंकित करना है। इस संबंध मे यह निदेश दिया जाता है कि इसका समुचित रिकॉर्ड रखा जाय।**

10. *आवेदक द्वारा इस आवेदन के साथ देय आवेदन शुल्क, प्रतिभूति राशि, प्राक्कलित राशि आदि का आकलन संलग्न* तालिका से करते हुए इन सभी का भुगतान आवेदन तथा अनुलग्नकों के साथ कंपनी के स्थानीय कलेक्शन काउन्टर पर किया जाय।

11. आवेदक तत्काल सम्बन्ध के लिए आवेदन कर सकता है जिसके तहत आवेदक को सामान्य दर की दोगुनी राशि जमा करनी होगी तथा आधे समय में आवेदक को विद्युत सम्बन्ध दे दिया जायेगा।

12. उपभोक्ता द्वारा आवेदन के समय विभिन्न मदों में जमा की जाने वाली राशि : (दर प्रति वर्ष बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्गत टैरिफ आदेश के द्वारा पुर्न निर्धारित होती है। प्रभावी दर समय–समय पर परिवर्तनीय है। आवेदक प्रभावी दर की जानकारी ले लें।)

क्र०	विद्युत सम्बन्ध की श्रेणी	आवेदन शुल्क (` में)	प्रतिभूति राशि (` में)	मजदूरी, पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क (` में)	कुल राशि (` में)
i.	कुटीर ज्योति	20	शून्य	400	420(Fixed)
ii.	एलटी सिंगल फेज (कुटीर ज्योति को छोड़कर)	75	400 / किलोवाट (घरेलू) 1200 / किलोवाट या एचपी (अन्य)	400	रू0 475 (Fixed) + 400 / किलोवाट
iii.	एलटी थ्री फेज (इन्डस्ट्रीयल को छोड़कर)	200	400 / किलोवाट (घरेलू) 1200 / किलोवाट या एचपी (अन्य)	900	रू0 1100 (Fixed) + 1200 / किलोवाट
iv.	एलटी इन्डस्ट्रीयल	300	1200 / एचपी	1500	रू0 1800 (Fixed) + 1200 / एचपी
v.	तत्काल कनेक्शन के लिए	सामान्य दर की दुगुना राशि (प्रतिभूति राशि को छोड़कर)			

13. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों तथा कुटीर ज्योति के उपभोक्ताओं को प्रतिभूति राशि नहीं जमा करनी है। लेकिन लोक उपक्रम तथा स्थानीय निकायों को प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

14. विभिन्न कोटि के उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन शुल्क, प्रतिभूति राशि, मजदूरी, पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क का अग्रिम भुगतान किया जायेगा।

15. 500वाट से कम के अंश भार को निचले पूर्णांक तथा 500 वाट से अधिक अंश भार को ऊपरी पूर्णांक पर आकलित करें।

16. घरेलू उपभोक्ता के लिए एयर कंडिशनर (हीटर रहित) अथवा गीजर एवं रूम हीटर के लोड को जोड़ कर जिसका भार अधिक हो उसे ही कुल भार में आकलित करें।

17. नये विद्युत सम्बन्ध के लिए समस्त सामग्री मीटर छोड़कर आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक द्वारा मीटर उपलब्ध कराने पर मीटर जाँच शुल्क (सिंगल फेज–100 रूपये, थ्री फेज–200 रूपये, थ्री फेज, सी0टी0 के साथ 300 रूपये) आवेदक द्वारा देय होगा।

18. उपरोक्त शुल्क समय – समय पर निर्गत टैरिफ आदेश के अनुसार परिवर्तित होगी।

संशोधित आवेदन प्रपत्र की प्रति आपको भेजी जा चुकी है। आवश्यकतानुसार संशोधित आवेदन प्रपत्र की प्रति अपने स्तर से इच्छुक आवेदको को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(एस0 के0 सिंह)
मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

ज्ञापांक..2473/ दिनांक .15.10.2013/

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (आईटी), एनबीपीडीसीएल को अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि आवेदन प्रपत्र, एनबीपीडीसीएल के वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कराएँ। सॉफ्ट प्रति उन्हें भेज दी गई है। सॉफ्ट प्रति सभी विद्युत अधिक्षण अभियन्ताओं / विद्युत आपूर्ति अंचल/ विद्युत कार्यपालक अभियन्ता / विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, एनबीपीडीसीएल/ अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी0एस,पी0एच0सी0एल0 के ई–मेल आई–डी पर भारित करे।

मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

लो टेन्शन (एल० टी०) विद्युत संबंध के लिए आवेदन

पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

सेवा में,

सहायक विद्युत अभियन्ता/कनीय विद्युत अभियन्ता,
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल/ प्रशाखा.............................

महाशय,

मेरे/हमारे

पंजीकृत पार्टनशीप फर्म / अपंजीकृत पार्टनरशीप फर्म
पब्लिक लिमिटेड कंपनी/ प्राईवेट लिमिटेड कंपनी

या

अन्य (स्पष्ट लिखें)
(संबंधित दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

परिसर में विद्युत संबंध ब्यौरा निम्न है :–

1. क) आवेदक का नाम :

ख) पिता/पति का नाम :

निम्नलिखित कोटि में ....किलोवाट/एचपी विद्युत भार के लिए

(1)	कुटीर ज्योति (ग्रामीण/शहरी)	
(2)	डी०एस०–I/ डी०एस०–II/ डी०एस०–III/डिमांड आधारित	
(3)	एनडीएस–I/ एनडीएस–II/ एनडीएस–III/ डिमांड आधारित	....
(4)	एलटीआईएस–I/ एलटीआईएस–II/ डिमांड आधारित	(सही विकल्प को लिखें)
(5)	आईएएस–I/ आईएएस–II/	
(6)	पीडब्लूडब्लू/ स्ट्रीट लाईट	
(7)	अस्थाई /Seasonal	

ग.) आवेदक का पता

स्थायी :	वर्तमान :
मोबाईल संख्या –	दूरभाष संख्या
Email-Id -	

घ.) आवेदित परिसर की विवरणी :

मकान संख्या / मकान का नाम / प्लॉट संख्या	
रोड संख्या / रोड / स्ट्रीट / गली का नाम	
वार्ड नं0	
मोहल्ला का नाम	
गाँव / शहर का नाम	
थाना	
पोस्ट ऑफिस	
जिला	

2. क) आवेदित परिसर मेरे / हमारे स्वामित्व में है। **(स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)** ☐

ख) किराये पर लिया गया है। **(परिसर के किरायानामा की प्रति संलग्न करें)** ☐

लीज डीड	
किराया एकरारनामा	
अन्य सपोर्टिंग साक्ष्य	

3. पहचान एवं आवासीय पता हेतु संलग्न दस्तावेज | 1) पहचान :– | 2) आवासीय पता:– |

निम्न तालिका के अनुसार एक–एक दस्तावेज अनिवार्य (छायाप्रति संलग्न करें)

(सही विकल्प को टिक ☑ करें)

क्रमांक	पहचान हेतु प्रमाणित दस्तावेज		आवासीय पता हेतु प्रमाणित दस्तावेज	
1	पासपोर्ट		पासपोर्ट	
2	पैन कार्ड		राशन कार्ड / बी०पी०एल० / ए०पी०एल० / अन्त्योदय कार्ड	
3	आधार कार्ड		आधार कार्ड	
4	मतदाता पहचान पत्र		मतदाता पहचान पत्र	
5	ड्राइविंग लाइसेंस		ड्राइविंग लाइसेंस	
6	नियोक्ता पहचान पत्र		आवासीय प्रमाण पत्र	
7	पेंशन पेमेन्ट आर्डर (P.P.O.)		बैंक पासबुक	
8	अन्य प्रमाणित दस्तावेज		अन्य प्रमाणित दस्तावेज	

4. आवेदित परिसर में चालू अन्य विद्युत संबंध की विवरणी (यदि कोई हो) :

उपभोक्ता संख्या	उपभोक्ता का नाम	टैरिफ श्रेणी	स्वीकृत भार (किलोवाट/एचपी में)	बकाया राशि

5. सम्बद्ध विद्युत भार की विवरणी : (संलग्न चार्ट के अनुसार)

क्र० सं०	उपकरण की विवरणी	संख्या	उपकरण का इकाई भार	कुल के०डब्लू०/एच०पी०
(i)	लाईटिंग लोड			
(ii)	पंखा			
(iii)	छोटे पावर उपकरण का भार			
(iv)	हीटर			
(v)	एयर कंडिशनर			
(vi)	गीजर			
(vii)	मोटर			
(viii)	वेल्डिंग सेट			
(ix)	अन्य भार, अगर कोई हो			
	विद्युत भार का कुल योग के०डब्लू०/एच०पी०			

....
आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

6. आवेदक द्वारा आवेदन के साथ भुगतान की गयी राशि की विवरणी (₹ में)

आवेदित भार	टैरिफ श्रेणी	आवेदन शुल्क (₹ में)	मजदूरी, पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क (₹ में)	कुल राशि	रसीद संख्या
.......किलोवाट/एचपी					
प्रतिभूति राशि (₹ में)			प्रतिभूति राशि की रसीद संख्या		

आवेदन प्राप्ति की तिथि : ....

....
कनीय विद्युत अभियंता/सहायक विद्युत अभियंता का हस्ताक्षर

आवेदक द्वारा घोषणा : मै/हम ....शपथ

पूर्वक सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ/करते है कि :–

i. आवेदित परिसर पर मेरे अथवा मेरे संबधी/साझेदार के नाम बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 की कंडिका 4.1 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/एनबीपीडीसीएल/एसबीपीडीसीएल का कोई भी बकाया लम्बित नहीं है। अगर, विद्युत संबंध देने के बाद ऐसा कोई बकाया संज्ञान में आता है तो मेरे/हमारे विद्युत संबंध को विच्छेद कर दिया जायेगा एवं बकाए की वसूली आपूर्ति संहिता, 2007 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

ii. अगर आवेदित परिसर पर नया विद्युत संबंध बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के प्रावधानों के तहत लंबित बकाये के कारण नहीं दिया जाता है तो इस आवेदन के साथ जमा किए गए प्रतिभूति राशि तथा प्राक्कलन राशि के बारे में विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007/कानूनी प्रावधानो के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

iii. मैं/हम, विद्युत आपूर्ति आंरभ करने हेतु एकरारनामा के प्रभावी होने की तिथि से बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता द्वारा न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए उपरोक्त उदेश्य हेतु विद्युत आपूर्ति का उपभोग करने अथवा, उक्त अवधि तक कम से कम न्यूनतम मासिक शुल्क अथवा वास्तविक शुल्क का भुगतान करेंगे।

iv. मैं/हम बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे, तथा इन नियमों के अधीन मुझे/हमें की जाने वाली विद्युत आपूर्ति की दर निर्धारित होगी तथा मैं/हम प्रभावी टैरिफ द्वारा निर्धारित विभिन्न शुल्कों का भुगतान करेंगे। ।

v. यदि विद्युत शुल्कों का भुगतान मेरे/हमारे द्वारा नहीं किया जाता है तो उसकी वसूली बिहार एण्ड उड़िसा पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के तहत मुझसे/हमसे की जा सकती है।

vi. मैं/हम लाईसेन्सी द्वारा निर्धारित एकरारनामा को विहित प्रपत्र में सम्पादित करेंगे तथा यदि एकरारनामा सम्पादित हो अथवा न हो, तब भी विद्युत आपूर्ति के लिए निर्धारित नियम एवं शर्ते मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

स्थान......................................

तिथि.......................................

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का पुरा नाम एवं पता

मोबाईल नं०..

ई–मेल (ऐच्छिक)...

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

पावती

1. आवेदक का नाम ....
2. जमा दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति /मूलप्रति: (पैनकार्ड / ड्राईविंग लाईसेन्स / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पासपोर्ट / बीपीएल कार्ड / बैंक पासबुक / पोस्ट ऑफिस कार्ड / अन्य / .... / ....
3. आवेदक द्वारा आवेदन के साथ भुगतान की गयी राशि की विवरणी :

आवेदित भार	टैरिफ श्रेणी	आवेदन शुल्क	मजदूरी, पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क (₹ में)	कुल राशि	रसीद संख्या एवं दिनांक	प्रतिभूति राशि	रसीद संख्या एवं दिनांक
.... किलोवाट / एचपी							

रजिस्ट्रेशन नम्बर	विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल	विद्युत आपूर्ति प्रशाखा	तिथि	प्राप्तकर्त्ता पदाधिकारी / कर्मचारी का हस्ताक्षर

आवेदको के लिए सामान्य अनुदेश

1. सिंगल फेज कनेक्शन के लिए संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता को तथा थ्री फेज लोड के लिए सहायक विद्युत अभियन्ता को आवेदन करें।
2. आवेदक इस आवेदन के साथ देय आवेदन शुल्क, प्रतिभूति राशि, प्राक्कलित राशि आदि का आकलन संलग्न तालिका से करते हुए इन सभी का भुगतान आवेदन तथा अनुलग्नकों के साथ कंपनी के स्थानीय कलेक्शन काउन्टर पर करने की कृपा करें।
3. आवेदन करने के लिए कनीय विद्युत अभियन्ता या सहायक विद्युत अभियन्ता के हस्ताक्षर या पृष्टांकन की आवश्यकता नहीं है।
4. आवेदक तत्काल सम्बद्ध के लिए आवेदन कर सकता है जिसके तहत आवेदक को सामान्य दर की दोगुनी राशि जमा करनी होगी तथा आधे समय में आवेदक को विद्युत सम्बद्ध दे दिया जायेगा।
5. उपभोक्ता द्वारा आवेदन के समय विभिन्न मदों में जमा की जाने वाली राशि : **(दर प्रति वर्ष बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्गत टैरिफ आदेश के द्वारा पुर्न निर्धारित होती है। प्रभावी दर समय–समय पर परिवर्त्तनीय है। आवेदक प्रभावी दर की जानकारी ले लें।)**

क्र०	विद्युत सम्बद्ध की श्रेणी	आवेदन शुल्क (₹ में)	प्रतिभूति राशि (₹ में)	मजदूरी, पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क (₹ में)	कुल राशि (₹ में)
i.	कुटीर ज्योति	20	शून्य	400	420 (Fixed)
ii.	एलटी सिंगल फेज (कुटीर ज्योति को छोड़कर)	75	400 / किलोवाट (घरेलू) 1200 / किलोवाट या एचपी (अन्य)	400	रू० 475 (Fixed)+ 400 / किलोवाट
iii.	एलटी थ्री फेज (इन्डस्ट्रीयल को छोड़कर)	200	400 / किलोवाट (घरेलू) 1200 / किलोवाट या एचपी (अन्य)	900	रू० 1100 (Fixed)+ 1200 / किलोवाट
iv.	एलटी इन्डस्ट्रीयल	300	1200 / एचपी	1500	रू० 1800 (Fixed)+ 1200 / एचपी
v.	तत्काल कनेक्शन के लिए		सामान्य दर की दुगुना राशि (प्रति भूति राशि को छोड़कर)		

6. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों तथा कुटीर ज्योति के उपभोक्ताओं को प्रतिभूति राशि नहीं जमा करनी है। लेकिन लोक उपक्रम तथा स्थानीय निकायों को प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

7. विभिन्न कोटि के आवेदकों द्वारा आवेदन शुल्क, प्रतिभूति राशि मजदूरी, पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क का अग्रिम भुगतान किया जायेगा।

8. नये विद्युत संबंध के लिए समस्त सामग्री (मीटर छोड़कर) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। विशेष परिस्थिति में मीटर आवेदक द्वारा उपलब्ध कराने पर मीटर जाँच शुल्क (सिंगल फेज–100 रूपये, थ्री फेज–200 रूपये, थ्री फेज, सी0टी0 के साथ 300 रूपये) आवेदक द्वारा देय होगा।

9. उपरोक्त राशि शुल्क समय – समय पर निर्गत टैरिफ आदेश के अनुसार परिवर्तनीय होगी।

10. उन मामलों में जहाँ आवेदक को नये विद्युत संबंध देने के लिए लाईसेन्सी को अपने डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स के विस्तार करने की आवश्यकता है, लाईसेन्सी विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 की कंडिका 4.21 तथा 4.22 के अधीन आवेदक को अतिरिक्त कार्य हेतु प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा। ऐसे अतिरिक्त प्राक्कलित राशि का भुगतान आवेदक द्वारा नियत अवधि के अन्दर किया जायेगा।

11. अगर उक्त मद में आवेदक द्वारा जमा की गई राशि वास्तविक राशि से कम होगी तब अन्तर की राशि उनके अगले विपत्र में भारित कर दी जायेगी।

12. घरेलू उपभोक्ता के लिए एयर कंडिशनर (हीटर रहित) अथवा गीजर तथा रूम हीटर में जिसका भार अधिक हो उसे ही कुल भार में आकलित करें।

13. घरेलू उपभोक्ता के मामले में दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी में रूम हीटर तथा गीजर के भार तथा अप्रील से सितम्बर माह तक एयरकंडिशनर (बिना हीटर) का भार आकलित होगा।

14. अपने परिसर के विद्युत भार की गणना के लिए निम्नलिखित तालिका का प्रयोग करें।

सामग्री	विद्युत शक्ति दर
बल्ब	वास्तविक भार
ट्यूब लाईट 2/4	20/40 वाट
पंखा	60 वाट
टेप–रिकॉर्डर/म्युजिक सिस्टम	25 वाट
वेक्युम क्लीनर	250 वाट/ वास्तविक भार
टेलीविजन – रंगीन	100 वाट
– ब्लैक एण्ड व्हाईट (सादा)	60 वाट
मिक्सी	60 वाट/वास्तविक भार
फ्रीज	200 वाट / वास्तविक भार
कुलर	200 वाट / वास्तविक भार
हीटर (पानी गर्म तथा खाना बनाने के लिए)	1000 वाट/वास्तविक भार
वाशिंग मशीन (बिना ड्रायर मोटर के)	250 वाट/वास्तविक भार
गीजर	1500/2000/2250 वाट/वास्तविक भार
स्प्लीट एयर कंडिशनर 1.5 टन/2.0 टन	2250 वाट/वास्तविक भार
विण्डो एयर कंडिशनर 1.0 टन/1.5 टन/2.0 टन	1500/2000/2250 वाट/वास्तविक भार
कम्प्यूटर	100 वाट
प्रिन्टर	150 वाट
वाटर लिफ्टिंग पम्प सेट	375 वाट/वास्तविक भार
इन्वर्टर	शून्य

15. आवेदक द्वारा दी गयी सूचना यदि गलत पायी जाती है या नियमानुसार विद्युत संबंध का प्रयोग नहीं होता है तो ऐसे मामलों में उनके द्वारा जमा की गयी विनिर्दिष्ट शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

16. नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ता अपनी शिकायत मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियां में अवस्थित उपभोक्ता शिकायता निवारण फोरम (C.G.R.F.) में कर सकते हैं।